

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1566 / 2012,

मैं० श्री श्याम इण्डस्ट्रीज,  
पदमपुर रोड़, गोलूबाला, हनुमानगढ

.....अपीला।

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर

.....प्रत्यर्थी

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर

.....अपीलार्थी

बनाम

मैं० श्री श्याम इण्डस्ट्रीज,  
पदमपुर रोड़, गोलूबाला, हनुमानगढ

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री मनोहर पुरी—सदस्य

श्री ईश्वरी लाल वर्मा—सदस्य

उपस्थित :

श्री वी.सी.सोगानी,  
अधिकृत अधिवक्ता

..... व्यवहारी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा,  
उप राजकीय अधिवक्ता

.....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक:— 23 / 02 / 2016

### निर्णय

1. अपीलार्थी—व्यवहारी एवं अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.2012 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे वेट अधिनियम कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं जिसमें व्यवहारी द्वारा कर एवं ब्याज तथा राजस्व द्वारा शास्ति राशि को इन अपीलों में चुनौती दी गई हैं।

2. इन दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु एक समान होने एवं एक ही व्यवहारी से संबंधित होने के कारण इनका निष्पादन एक ही आदेश से किया जा रहा है। आदेश की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक—पृथक रखी जावेगी।

3. प्रकरणो के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि व्यवहारी कॉटन, खाद्य तेल एवं खल का विनिर्माण व विक्रय करता है। सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी घट—प्रथम प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 10.05.2011 को व्यवहारी के व्यवसाय स्थल की जांच किए जाने पर पाया गया कि व्यवहारी ने वर्ष 2010–11 के दौरान स्वयं को माइक्रो एण्ड स्माल एण्ड मिडियम एन्टरप्राइजेज श्रेणी में शुमार होने के कारण अन्तर्राजीय विक्रय संव्यवहारों पर रियायती कर दर 0.25 प्रतिशत की दर से कर अदा किया है जबकि व्यवहारी द्वारा किये जाने वाले उत्पाद इस श्रेणी में शुमार ईकाई के अन्तर्गत कवर नहीं होते हैं। अतः व्यवहारी के विरुद्ध करापवंचन का अभियोग दर्ज कर पत्रावली निष्पादन हेतु, वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर (जिसे आगे कर “निर्धारण अधिकारी” कहा जायेगा) को स्थानान्तरित की गयी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दर्ज अभियोग एवं पत्रावली पर

उपलब्ध रेकार्ड एवं दिनांक 28.07.2011 को पारित आदेश एवं उपायुक्त(प्रशासन) श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश धारा 34 की पालना में व्यवहारी को प्रकरण के निष्पादन हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में व्यवहारी ने जवाब पेश किया। प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर, कर निर्धारण अधिकारी ने रु0 13,20,99,454/- की बिक्री पर 1.75 प्रतिशत से अन्तर कर रु0 23,11,740/- व धारा 61(1)(बी) सप्तित के.बि.क.अ. की धारा 9 के अन्तर्गत शास्ति रु0 46,23,480/- तथा धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज रु0 2,77,408/- की मांग व्यवहारी के विरुद्ध अपने आदेश दिनांक 26.09.2011 के द्वारा आरोपित की। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध, व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 30.4.2012 द्वारा अन्तर कर व ब्याज को यथावत रखते हुए, शास्ति को अपास्त किया है एवं व्यवहारी की अपील आंशिक स्वीकार की है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध, व्यवहारी द्वारा अन्तर कर रु0 23,11,740/- व ब्याज रु0 2,77,408/- के बिन्दु को इस अपील में विवादित किया गया है।

राजस्व द्वारा शास्ति रु0 46,23,480/- को इस अपील में विवादित किया गया है।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि वित्त विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14. 02.08 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.08) में दिनांक 14.02.08 के पश्चात प्लाण्ट एण्ड मशीनरी क्य कर उद्योग स्थापित करने एवं Micro & Small Enterprise का दर्जा प्राप्त औद्योगिक इकाईयों को 'सी' फार्म समर्थित अन्तर्राजीय बिक्री पर रियायती कर दर @ 0.25% का का लाभ प्राप्त देय होगा तथा Micro & Small Enterprise के वर्गीकरण का अधिकार MSMED विभाग को है, जिसके द्वारा समय-समय पर अधिसूचना एवं स्पष्टीकरण जारी किये गये हैं जिसके आधार पर सभी प्रकार की सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की इकाईयों को राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना का लाभ प्राप्त होगा। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने केवल प्रथम अनुसूची में अंकित उद्योगों को ही इस अधिसूचना का लाभ देय होना मानते हुए रियायती कर दर @ 0.25% का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र इकाई नहीं माना है। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि व्यवहारी MSMED Act, 2006 के अन्तर्गत लघु ईकाई के लिये पंजीकृत व्यवहारी है।

विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है दिनांक 16.01.09 की अधिसूचना के पश्चात सभी प्रकार के उद्योगों को चाहे वे अनुसूची प्रथम में अंकित उद्योग की सूची में नहीं हो, को भी अधिसूचना दिनांक 14.02.08 के अन्तर्गत रियायती कर दर की छूट का पात्र माना गया किन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने इसे नहीं मानकर विधिक त्रुटि की है। अपने इन कथनों के साथ विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया।

लगातार.....3

6. विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी के प्रकरण में विधि के प्रावधानों के अनुसार निर्णय पारित नहीं किया गया है। विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपने इन कथनों के साथ व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने एवं राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

7. उभयपक्ष की बहस सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया, राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना का अध्ययन किया गया।

हस्तगत प्रकरण में विवादित बिन्दु यह है कि व्यवहारी द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में की गई बिक्री पर राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 8(5) के अधीन जारी अधिसूचना क्रमांक 07/66 दिनांक 14.02.2008 में निर्देशित की गई 0.25 प्रतिशत की दर से कर दर लागू होगी अथवा नहीं ?

सर्वप्रथम यहां पर राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक: F.12(99)FD/Tax/07-66 दिनांक 14.02.08 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.08) एवं Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006 की धारा 7(1) (i)(a)(b)(c) एवं Amendment in MSMED Act, 2006 on dated 16/01/2009 का अवलोकन किया जाना आवश्यक है, जो इस प्रकार है :—

(i) अधिसूचना क्रमांक F.12(99)FD/Tax/07-66 दिनांक 14.02.08:—

"In exercise of the power conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No 74 of 1956), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby directs that tax payable under the said Act by a registered dealer during the period he enjoys status of Micro and small enterprise (but not being a medium enterprise) as defined in the Micro, small and medium Enterprises Development Act, 2006 (Act No. 27 of 2006), in respect of the sale of goods manufactured by him from his place of business in the State, in the course of interstate trade and commerce shall be calculated at the rate of 0.25%"

(ii) अधिसूचना क्रमांक F.12(99)FD/Tax/07-71 दिनांक 21.02.08:—

"In exercise of the power conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No 74 of 1956), The State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the department's notification No. F.12(99)FD/Tax/07-66 दिनांक 14.02.08 namely :-

#### AMENDMENT

In the said notification, the existing expression "registered dealer" shall be substituted by the expression "registered dealer who commences purchase of plant and machinery on or after 14-02-2008 for setting up of enterprise"

(III) Ministry of Small Scale Industries Notification New Delhi 29<sup>th</sup> September, 2006 :-

S.O. 1642 (E) :- The Central Government, in exercise of the power conferred by sub-Section 7 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, after having obtained the recommendation of the Advisory Committee under sub-section (4) of section 7

of the Act, In this regard, hereby notifies the following enterprises, whether proprietorship, Hindu undivided family, association of persons, co-operative society, partnership or undertaking or any other legal entry, by whatever name called :

(i) in the case of enterprises engaged in the manufacture or production of goods pertaining to any industry specified in the First Schedule to the Industries (Development & Regulation) Act, 1951, as-

(a) a micro enterprise, where the investment in plant and machinery does not exceed twenty five lakh rupees;

(b) a small enterprise, where the investment in plant and machinery is more than twenty five lakh rupees but does not exceed five crore rupees; or

(c) a medium enterprise, where the investment in plant and machinery is more than five crore rupees but does not exceed ten crore rupees.

(IV) Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006 में दिनांक 16.01.2009 को किया गया संशोधन निम्न प्रकार है :-

(फा.सं. 2(10) / 2006—एमएसएमई नीति)

S.No. 199(E).- In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), the Central Government, after obtaining the recommendation of the Advisory Committee, sub-section (4) of section 7 of the Act, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, number S.O. 1642, dated 29 September 2006 namely :-

In the said notification for the portion being with the brackets, letter and words "(i) in the case of the enterprises" and ending with words, brackets and figures "the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. As- "the following shall be substituted namely"-

"(i) in case of the enterprises engaged in the manufacture or production of goods pertaining to any industry specified in the First Schedule of Industries (Development and Regulation) Act, 1951 or employing plant and machinery in the process of value addition to the final product having a distinct name or character or use, as."

[F.No.2(10)/2006-MSME Policy]

अतः राज्य सरकार द्वारा MSMED के लिए केन्द्रीय विक्रय कर के संबंध में रियायत देने हेतु जारी उक्त अधिसूचना दिनांक 14.02.08 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.08), MSMED Act, 2006 एवं दिनांक 16.01.09 को MSMED Act, 2006 में किये गये संशोधन एवं Industries (Development and Regulation) Act, 1951 की अनुसूची प्रथम का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार द्वारा MSMED Act, 2006 में परिभाषित Micro & Small Enterprises द्वारा उत्पादित माल के अन्तर्रज्यीय विक्रय पर देय केन्द्रीय विक्रय कर में रियायत हेतु अधिसूचना दिनांक 14.02.08 जारी की गई एवं उसमें संशोधन करते हुए दिनांक 21.02.08 को संशोधित अधिसूचना जारी की गयी।

लगातार.....5

8. उपर्युक्त अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि एक पंजीकृत व्यवहारी जो कि MSMED Act, 2006 में परिभाषित Micro & Small Enterprises का दर्जा प्राप्त है एवं साथ ही उसके द्वारा उद्यम स्थापना हेतु दिनांक 14.02.08 के पश्चात प्लाण्ट एण्ड मशीनरी का क्य कर स्थापित किया जावे, तब उसके द्वारा उत्पादित माल की अन्तर्राज्यीय बिक्री 'सी' फार्म के समर्थन में करने पर रियायती कर दर @ 0.25% का लाभ प्राप्त होगा। अधिसूचना दिनांक 14.02.08 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.08) में कर छूट देय होने के लिए महत्वपूर्ण शर्त है कि ऐसे उद्यम जो कि MSMED Act, 2006 में परिभाषित Micro & Small Enterprises होने की पात्रता रखते हो। इसके लिए MSMED Act, 2006 की धारा 7(1)(i) के कलॉज (a) एवं (b) में दी गई परिभाषा का अवलोकन करना आवश्यक है जिसके अनुसार Industries (Development and Regulation) Act, 1951 की अनुसूची प्रथम में वर्णित उद्योगों से संबंधित वस्तुओं के उत्पादन एवं विनिर्माण में संलग्न उद्यम, जिनमें प्लाण्ट एवं मशीनरी में विनिवेश 25 लाख से कम हो, सूक्ष्म (Micro) तथा जिनमें 25 लाख से अधिक किन्तु पांच करोड़ से कम का विनिवेश हो, को लघु (Small) इकाई मानी जावेगी। इस प्रकार किसी उपकरण (उद्यम) के MSMED Act, 2006 के अन्तर्गत होने के लिए उसमें प्लाण्ट एण्ड मशीनरी में निवेश होने एवं Industries (Development and Regulation) Act, 1951 की अनुसूची प्रथम में वर्णित उद्योग संबंधी वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न होने संबंधी दोनों शर्तों की पालना करना आवश्यक है। इसी प्रकार MSMED Act, 2006 में केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 16.01.09 को संशोधन करते हुए MSME की परिभाषा में विस्तार किया गया है जिसके अनुसार Industries (Development and Regulation) Act, 1951 की अनुसूची प्रथम में वर्णित किसी भी उद्योग से संबंधित वस्तु के विनिर्माण एवं उत्पादन में लगे हुए उद्यम अथवा भिन्न नाम, प्रयोग एवं लक्षण रखने वाले अन्तिम उत्पाद के मूल्यवर्धन की प्रक्रिया (Process) में प्लाण्ट एण्ड मशीनरी का नियोजन करने वाले उद्यम को भी MSME की श्रेणी में माना गया है।

9. इस आधार पर व्यवहारी द्वारा उत्पादित वस्तु बिनौला से कॉटन सीड ऑयल व खल के विनिर्माण एवं उत्पादन में संलग्न होने के आधार पर उद्योग विभाग से उसे Small Enterprises के रूप में पंजीकृत किया गया है। दिनांक 16.01.09 को केन्द्र सरकार द्वारा MSMED Act, 2006 में संशोधन करने के पश्चात Industries (Development and Regulation) Act, 1951 की अनुसूची प्रथम में अंकित उद्योगों के अतिरिक्त अन्य उद्योगों को भी MSME में सम्मिलित कर लिये जाने से ऐसे उपकरणों को भी राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.02.08 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.08) के अन्तर्गत 'सी' फार्म समर्थित अन्तर्राज्यीय बिक्री पर रियायती कर दर @ 0.25% का लाभ प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है।

10. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र हनुमानगढ़ द्वारा जारी पावती पत्र दिनांक 20.05.2010 में व्यवहारी को इकाई की श्रेणी स्माल स्केल व कार्यकलाप की प्रकृति विनिर्माण करने का अंकन किया गया है।

11. राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.02.08 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.08) के अनुसार 'सी' फार्म समर्थित अन्तर्राज्यीय बिक्री कर

रियायती कर दर @ 0.25% की छूट के पात्र उद्यम कौन-कौनसे होंगे। इस संबंध में राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना के अनुसार वे एण्टरप्राइजेज ही पात्र माने जावेंगे जो दिनांक 14.02.08 को अथवा इसके उपरान्त प्लाण्ट एण्ड मशीनरी की खरीद करके एण्टरप्राइजेज स्थापित करेंगे तथा उन्हें **MSMED Act, 2006** की परिभाषा के अनुसार **Micro Small Enterprises** का दर्जा प्राप्त हो। **MSMED Act, 2006** में दिनांक 16.01.09 को किये गये संशोधन के पश्चात प्रथम अनूसूची में वर्णित वस्तुओं से संबंधित उत्पादन विनिर्माण में संलग्न उद्यमों के साथ-साथ अन्तिम उत्पाद में मूल्य संवर्द्धन की प्रक्रिया/प्रसंस्करण (Process) के कार्यों हेतु भी स्थापित प्लाण्ट एण्ड मशीनरी संबंधी उद्यमों को समिलित कर लिया गया न कि समस्त प्रकार की वस्तुओं के विनिर्माण संबंधी उद्योगों को इस संशोधित अधिसूचना द्वारा समिलित किया गया है।

12. माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पूर्व पारित अपील संख्या 383, 384, 385 एवं 386 / 2014 में हिन्द ट्रेडर्स, अलवर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, वृत अलवर जिसमें यह निर्णीत किया गया है कि— “Appellant dealer being a manufacturer of calcite powder, dolomite powder and marble powder installed a manufacturing unit and claimed concessional rate of tax on interstate sale under notification dated 14-02-2008 issued micro, small and Medium Enterprises applicable for dealers who commence purchase of plant & machinery on or after 14-02-2008 for setting up of an enterprise. Assessing authority denied the concessional rate of tax on the ground that as per notification of Central Government dated 29-09-2006 only those enterprises engaged in the manufacture or production of goods pertaining to any Industry specified in the first schedule to the industries(Development & Regulation) Act, 1951 are eligible for concessional rate. Rajasthan Tax Board while allowing the appeal of the dealer held that :- Central Govt. in its notification dated 29-09-2006 had made amendment in the definition of micro, small & Medium Enterprises and apart from industries specified in first schsdule in the industries(Development & Regulation) Act, 1951 industries employing plant and machinery in the process of value addition to the final product having a distinct name of character or use are also included. Assessing authority has not considered this amended definition of industries eligible under MSME Act. It was accepted by the Assessing authority that the manufacturing by the unit was commenced w.e.f. 2 jan 2009. Appellate authority faurther did not accept the dealer as eligible vide notification dated 16-01-2009 which is not legally correct. Therefore, appeals of dealer are allowed and order of appellate authority is dismissed.”

13. व्यवहारी स्माल स्केल उद्यम की हैसियत का स्टेटस (**an accepted or official position**) एन्जॉय (to have the benefit of) करने वाला उद्यम है, जो महाप्रबन्धक, हनुमानगढ़ के पत्र दिनांक 20.05.2010 द्वारा पुष्ट होता है

14. उपरोक्त समग्र विवेचन के पश्चात यह निष्कर्षित किया जाता है कि व्यवहारी के.वि.क.अ. के अधीन अन्तर्राजीय व्यापार के क्रम में की गई बिक्री पर राज्य सरकार द्वारा के.वि.क.अ. की धारा 8(5) में जारी अधिसूचना क्रमांक 07 / 66 दिनांक 14.02.2008 में निर्देशित की गई 0.25 प्रतिशत की कर दर का लाभ लेने के लिए अर्हक होने के कारण उसके द्वारा किये गये विक्रय पर 0.25 प्रतिशत की कर दर लागू होगी।

14. उपरोक्त विवेचन के अनुसार व्यवहारी द्वारा कर ब्याज के बिन्दु पर प्रस्तुत अपील संख्या 1566 / 2012 / श्रीगंगानगर स्वीकार की जाती है एवं राजस्व द्वारा शास्ति के बिन्दु पर प्रस्तुत अपील संख्या 2075 / 2012 अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

22-2-2016  
(ईश्वरी लाल वरी)

सदस्य

22.02.2016  
(मनोहर पुरी)  
सदस्य